



राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक एफ 4(3)ग्रावि/गुप-3/07-08

जयपुर, दिनांक 24.03.09

समस्त संभागीय आयुक्त।

31

विषय :- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की अनवरत समीक्षा बाबत।
संदर्भ :- इस विभाग का पूर्व पत्र क्रमांक पीएस/आरडी/2008 दिनांक 7.2.08

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में दिनांक 13.2.2009 को आयोजित जिला कलेक्टर्स कान्फ्रेंस में मा. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विशेष रूप से चर्चा की गई थी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिये थे।

इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि आपके स्तर पर हर माह इस योजना की विभिन्न गतिविधियों बाबत समीक्षा की जावे। इस योजना के अंतर्गत निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है :-

1. योजना का पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग
2. परिवेदनाओं का निस्तारण(GRIEVANCE REDRESSAL)
3. सामाजिक अंकेक्षण।
4. योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर शीघ्र जांच व प्रभावी कार्यवाही कर योजना को भ्रष्टाचार मुक्त करना।
5. योजना के क्रियान्वयन में कोताही बरतने वालों का उत्तरदायित्व निर्धारण।
6. योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता

1- योजना के पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग के संदर्भ में निम्न बिन्दुओं की प्रगति की समीक्षा की जावे :-

- > ग्राम पंचायतवार श्रमिकों का नियोजन:- जिन ग्राम पंचायतों में औसत से कम श्रमिकों का नियोजन हुआ है, उनमें कम नियोजन के कारणों के संबंध में चर्चा की जावे।
- > 100 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवारों की समीक्षा:- इस समीक्षा में 50 दिन से कम, 50 से 70 दिवस, 70 से 90 दिवस एवं 90 दिवस से अधिक परिवारों की समीक्षा की जावे तथा 100 दिवस का कार्य पूर्ण करने हेतु इच्छुक परिवारों को पूर्ण लाभ उपलब्ध कराने बाबत, कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- > पंचायतवार पंजीकृत परिवारों की तुलना में जारी किये गये जॉब कार्ड व उन पर फोटो लगने की स्थिति की समीक्षा की जावे। यह सुनिश्चित किया जावे कि समस्त जॉब कार्ड पर अंकित व्यक्तियों के फोटो लगे हों।
- > पंचायतों के साथ साथ अन्य कार्यकारी संस्थाओं की सहभागिता एवं उनके द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जावे। यह देखा जावे कि पंचायतों द्वारा कार्यकारी संस्थाओं की मांग पर प्राथमिकता पर उनके कार्यों पर रोजगार चाहने वाले श्रमिकों का नियोजन हो।
- > कार्य पर नियोजित श्रमिकों को निर्धारित समयवधि में मजदूरी का भुगतान हो।

कमरा नम्बर 5213, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान, भारत — 302 005

Tel [O]: +91 (141)2227132

Tel [R]: +91 (141) 2707400

Fax: +91 (141) 2227132

- स्वीकृत कार्यों पर सामग्री मद में प्रावधान के अनुसार कार्य निष्पादित हों। कार्यों के निष्पादन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने बाबत चर्चा की जावे।
- जिले द्वारा कार्यकारी संस्थाओं को उपलब्ध राशि का आवंटन आवश्यकता अनुरूप हो, ताकि अनावश्यक रूप से अनुपयुक्त राशि किसी कार्यकारी संस्था में पडी न रहे।
- जिले द्वारा पूर्व में आवंटित राशि का 60 प्रतिशत उपयोग होते ही एक सप्ताह में अगली किश्त प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिये जाएं, यह सुनिश्चित किया जावे।
- प्रत्येक कार्य स्थल पर मेट द्वारा अपेक्षित रिकार्ड का संचारण नियमित रूप से किया जा रहा है, इसकी समीक्षा की जावे।
- योजना का प्रभावी प्रचार प्रसार गांव गांव में हो तथा पात्र इच्छुक परिवारों को उनकी मांग के अनुरूप रोजगार के अवसर यथा समय उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित किया जावे।

- 2- परिवेदनाओं का निस्तारण:—जिलों में राज्य सरकार द्वारा भेजी गई परिवेदनाएं मुख्य रूप से केन्द्र सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय आदि से प्राप्त परिवेदनाओं का एक सप्ताह में निस्तारण हो, रिपोर्ट मुख्यालय पर पहुँचे, इसकी समीक्षा की जावे एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करवाया जावे।
- 3- सामाजिक अंकक्षण:—योजना के प्रावधानों के अनुसार वर्ष में दो बार सामाजिक अंकक्षण अनिवार्य रूप से प्रभावी ढंग से निष्पादित हो, यह सुनिश्चित किया जावे तथा सामाजिक अंकक्षण में उठे बिन्दुओं की पालना समय पर सुनिश्चित करवाई जावे।
- 4- योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर शीघ्र जांच हो एवं दोषी व्याक्तियों के विरुद्ध अविलंब कार्यवाही सुनिश्चित कराई जावे। इस बिन्दु की विशेष रूप से समीक्षा की जावे।
- 5- योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के लिए मासिक निरीक्षण के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। लक्ष्यों के अनुरूप उनके द्वारा निरीक्षण किये जावें, यह सुनिश्चित किया जावे एवं इसकी नियमित समीक्षा की जावे।
- 6- ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति स्तर पर संचारित किये जाने वाले रिकार्ड आदिनांक संचारित हों, इसके लिए प्रत्येक तीन माह में कार्यक्रम अधिकारियों से प्रमाण पत्र लिया जावे कि उनके क्षेत्र की समस्त पंचायतों का रिकार्ड व्यवस्थित एवं आदिनांक संचारित है। दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 7- योजनान्तर्गत भुगतानशुंदा मस्टररोल्स, सामग्री बाउचर्स का पारदर्शिता की दृष्टि से ग्राम पंचायत पर नियमित रूप से प्रदर्शन हों, यह सुनिश्चित किया जावे।

कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन की जांच की दृष्टि से यह भी आवश्यक होगा कि आप द्वारा भी प्रत्येक माह में कम से कम 5 कार्यों, एक पंचायत समिति एवं एक ग्राम पंचायत का निरीक्षण भी किया जावे।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियमित रूप से हर माह आपके स्तर पर समीक्षा करें एवं समीक्षा उपरांत एक रिपोर्ट प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

६५

(कुशल सिंह)

मुख्य सचिव

प्रतिलिपि समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, (राजस्थान)



प्रमुख शासन सचिव